

मांग संख्या 57
मुख्य शीर्ष 4701

मद कमांक 1

राज्य शासन द्वारा निर्देशन और प्रशासन स्थापना के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के भुगतान पर इस वर्ष रूपये 3.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कमांक 2 से 5

राज्य शासन ने ए.डी.बी. सहायित छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना के अन्तर्गत निम्ननुसार 12 वाहन, कार्यालय उपकरण, कम्प्यूटर एवं मशीन किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह नवीन मद का व्यय है।

वाहन

एग्रीकल्चर समन्वय	-	1
सर्वेक्षण	-	6
प्रशिक्षण केंद्र	-	4
मुख्यालय पी.एम.आई.	-	1

कार्यालयीन उपकरण

आडियो विजुवल	4 सेट
प्रोजेक्टर	4 सेट
ब्ही.सी.आर./सी.डी.पी.	4 सेट
ओ.एच.पी.4,स्क्रीन	8 सेट
फोटो कार्पीयर	6 सेट
स्क्रीन	8 सेट

मशीन एवं उपकरण

प्लाटर	4 सेट
टोपोलॉजिकल सर्वे उपकरण	8 सेट
जी.पी.एस. सिस्टम	12 नग
पोर्टेबल जनरेटर	4 नग

सूचना प्रौद्योगिकी

आटोकॅट साफ्टवेयर	1 नग
अन्य साफ्टवेयर	2 सेट
कम्प्यूटर	9 नग
कम्प्यूटर वर्कस्टेशन	10 नग
प्रिंटर ए-3 साईज	4 नग
स्कैनर/फॉक्स	5 नग
यू.पी.एस.	12 नग
लेपटाप कम्प्यूटर	8 नग
डेस्कटाप कम्प्यूटर	24 नग
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	80 सेट
हेवी ड्यूटी प्रिंटर	9 नग

अतः इस प्रयोजन हेतु अनुपूरक अनुदान बजट में रूपये 400 के प्रतीक प्रावधान किया गया है।